

अपीलार के अधिकार उपस्थित हैं। उनके
कार्यविधायन किया गया कि उन अपील पुस्तक में
कार्यविधायन मूल रूप का निर्णय हो चुका है।
अपीलार अधिकार की ओर से प्रस्तुत अपील
को अपने नोट पुस्तक के निरवधारित कार्यों में
तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त अपील को अपीलार के
अधिकार की ओर से प्रस्तुत नोट पुस्तक के आधार
पर रवाना की जाती है। प्रस्तावनी निर्णय लेकर
नोटबंद से काग हो। अधिकार न्यायालय का मूल
रकॉर्ड अपीलार की सहायता शक्ति लीटा जावे।



(Handwritten signature)